फर्द अहकाम

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी सिकराय जिला दौसा

रामेश्वर बनाम उम्मेद वगै0

मु0नं0—146 / 2024

किस्म मुकदमा—दावा

पीठासीन अधिकारी— डॉ0 नवनीत कुमार (आर0ए0एस0)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
04.03.2025	पत्रावली वास्ते निर्णय हेतु पेश हुई। वकील उभयपक्ष उपस्थित। वादी अधिवक्ता द्वारा दौराने बहस निवेदन किया गया कि पत्रावली कुर्रेजात प्रस्ताव प्राप्त हो चुके है तथा तहसीलदार सिकराय द्वारा तैयार किए गए कुर्रेजात प्रस्ताव सही एवं नियमानुसार है इसलिए कुर्रेजात प्रस्ताव स्वीकार किया जाकर मुताबिक कुर्रेजात प्रस्ताव दावा वादीगण अंतिम डिक्री किया जावे। पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात एवं कुर्रेजात प्रस्ताव का अवलोकन किया गया। इसलिए तहसीलदार सिकराय द्वारा पत्रांक भू0अ0 / 2025 / 629 दिनांक 24.02.2025 द्वारा पेश कुर्रेजात प्रस्ताव स्वीकार कर दावा अंतिम डिक्री किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः दावा वादीगण स्वीकार कर तहसीलदार सिकराय द्वारा पत्रांक भू0अ0 / 2025 / 629 दिनांक 24.02.2025 द्वारा पेश कुर्रेजात प्रस्ताव स्वीकार कर दावा अंतिम डिक्री किया जाता है। कुर्रेजात प्रस्ताव निर्णय का भाग रहेंगे। तहसीलदार सिकराय मुताबिक कुर्रेजात प्रस्ताव तकास्मा कर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करें। उपरोक्तानुसार अंतिम डिक्री जारी हो। तहसीलदार सिकराय को पालना तहरीर जारी हो। निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। उपखण्ड अधिकारी सिकराय जिला दौसा	